न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.)

प्रार्थीगण

1. श्रीमती भगवती देवी पत्नि श्री भंवरलालजी राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्रीमती कमलादेवी पत्नि श्री नारायणजी राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
3. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भंवरलाल राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
4. श्रीमती दीपा पुत्री श्री मोहनलालजी पत्नि श्री इन्द्रजीतसिंह राजगुरू जाति राजपुरोहित निवासी हाल सनवाडा आर तहसील रेवदर जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री गिरधारीलालजी जाति राजपुरोहित निवासी छावणी तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री लालचन्दजी सोलंकी जाति जैन निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
3. श्री जसाराम पुत्र श्री भीखाजी जाति घांची निवासी न्यू नेहरू नगर शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
4. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री मीठालाल जाति खण्डेलवाल निवासी मण्डवाडा (ऊड) तहसील व जिला सिरोही।
5. श्री गिरधारीलाल पुत्र श्री मगनलालजी जाति राजपुरोहित निवासी एरनपुरा शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 05/2022

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा, प्रार्थी की ओर से।
(2) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अप्रार्थी संख्या एक से पांच की ओर से।
(3) नायब तहसीलदार सिरोही, पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :– **दिनांक 18.12.2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि ग्राम एरनपुरा, पटवार हल्का शिवगंज तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 189, कुल रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म सडक की भूमि आई हुई है। यह कि

.....पेज नं. 02

जिला कलेक्टर, सिरोही

उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में गत भू–प्रबन्ध के समय से बिलानाम सडक की भूमि है तथा उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग आवागमन हेतु होता आ रहा है। उक्त भूमि की किस्म संवत 2038 से 2041 की जमाबन्दी में सडक दर्ज है एवं उसके पश्चात संवत 2055 से 2058 तक उक्त भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सडक दर्ज है। उक्त भूमि शुरु से रास्ते की भूमि है एवं रास्ते के उपयोग में आ रही है। यह कि राधाबाई बेवा मगनलालजी राजगर पुरोहित निवासी सिरोही ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सिरोही के न्यायालय मे मौजा ऐरनपुरा पटवार क्षेत्र शिवंगज तहसील शिवंगज के खसरा सख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा किस्म सडक की भूमि की खातेदारी की घोषणा का वाद राजस्थान राज्य के विरुद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया, जिसके राजस्व वाद संख्या 61/97 है। उक्त वाद में निर्णय दिनांक 13.10.1998 को पारित किया गया है। वादीया राधाबाई के खातेदारी की घोषणा के उक्त वाद को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सिरोही ने खारिज किया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी सिरोही के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.1998 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसे राजस्व अपील अधिकारी सिरोही ने दिनांक 31.03.1999 को स्वीकार कर श्रीमती राधाबाई को उपरोक्त वर्णित खसरा सख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा किस्म बिलानाम सडक की खातेदारी की घोषणा की डिक्री प्रदान की है। राधा बाई की मृत्यु दिनांक 18.02.2010 को शिवंगज में हो गई है। अप्रार्थी सख्या पांच गिरधारीलाल, राधाबाई का पुत्र है। अप्रार्थी संख्या एक, अप्रार्थी संख्या पांच गिरधारीलाल की पत्नि है। यह कि तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित निर्णय व डिक्री रेफरेन्स के जरिये अपास्त किये जाने योग्य है तथा सडक की भूमि को सडक के रुप मे यथावत राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। यह कि खसरा संख्या 189 की भूमि रास्ते की भूमि है तथा रास्ते के रुप मे कदीम से उपयोग होती आ रही है। उक्त भूमि पर राधाबाई का कब्जा कभी नही रहा है। रास्ते की भूमि की खातेदारी प्रदान करने का कोई प्रावधान विधि मे नहीं है, जिससे प्रश्नगत रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा अपील संख्या 36/98 में पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 11.05.1999, नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 09.09.1999, नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 09.08.2001 एवं उसके पश्चात हुये हस्तान्तरणों को निरस्त कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स करवाया जाना न्याय संगत एव आवश्यक है। यह कि धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रास्ते की भूमि की खातेदारी की घोषणा प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान विधि में नहीं है। यह कि खसरा सख्या 189 की रास्ते की भूमि का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व अन्य लोग रास्ते के रुप में कदीम से करते आ रहे है। यह कि मृतक राधाबाई ने रास्ते की भूमि की खातेदारी की घोषणा की अवैधानिक डिक्री राजस्व अपील अधिकारी सिरोही से प्राप्त कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 273 राजस्थान राज्य के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से अपने नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित करवाया है एवं नामान्तरकरण संख्या 273 दर्ज होने के पश्चात राधाबाई ने उक्त रास्ते की भूमि में से 1 बीघा भूमि को श्री प्रदीपकुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी जाति

.....पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

जैन निवासी शिवंगज को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.05.1999 को विक्रय की है एवं उक्त विक्रय विलेख को दिनांक 01.09.1999 को पंजीकृत करवाया है। उक्त विक्रय विलेख का नामान्तरकरण संख्या 276 तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने अवैध रुप से स्वीकृत किया है। इसी प्रकार प्रदीपकुमार ने राधाबाई से खरीद की गई बिलानाम सडक की भूमि खसरा सख्या 189 की 1 बीघा भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख से श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री मीठालालजी जाति खण्डेलवाल निवासी मण्डवाडा (ऊड) तहसील व जिला सिरोही को दिनाक 06.05.2006 को विक्रय की है, जिसका नामान्तरकरण तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने दायर किया है। यह कि उपरोक्त वर्णित खसरा सख्या 189 की 12 विस्वा भूमि को राधाबाई ने अपने आम मुख्तयार श्री गिरधारीलाल पुत्र मगनलालजी राजपुरोहित के जरिये गिरधारीलाल की पत्नि श्रीमती शान्तिदेवी को पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय की है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 327 तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने गलत रुप से दायर किया है। उक्त नामान्तरकरण शान्तिदेवी धर्मपत्नी गिरधारीलाल के हक में दर्ज हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त रास्ते की भूमि में से 12 विस्वा भूमि गिरधारीलाल की पत्नि श्रीमती शान्तिदेवी के खातेदारी में अंकित है। यह कि तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने राधाबाई एवं उसके पुत्र गिरधारीलाल से मिलावट कर रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी में दायर किया है, जबकि राजस्थान राज्य के तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व था कि वे रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण दायर नहीं कर प्रकरण को रेफरेन्स करवाने हेतु माननीय जिला कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते। यह कि खसरा सख्या 189 की किस्म को परिवर्तन करने या करवाने का अधिकार तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही को नही था एवं आज भी नहीं है, जिससे भी तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जरिये रेफरेन्स अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या एक से चार के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार अंकित है। उक्त भूमि की किस्म को परिवर्तन करने का या करवाने का अधिकार अप्रार्थीगण को किसी भी रूप से नही है। प्रश्नगत बिलानाम सडक की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदारी के हुये इन्द्राज को निरस्त किया जाना एवं उक्त भूमि को पुनः बिलानाम सडक की भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित किया जाना न्याय संगत एवं आवश्यक है। यह कि तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही को बिलानाम सडक की भूमि की खातेदारी राधादेवी को प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा अपील संख्या 36/98 में पारित खातेदारी की घोषणा के निर्णय व डिक्री की जानकारी उच्च राजस्व अधिकारियों को प्रदान नही कर गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण दायर कर दिया, जो कानूनन अवैध है, जिससे ऐसी प्रविष्टियों को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटवाये जाने हेतु, राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेन्स किया जाना न्याय संगत है। यह कि बिलानाम सडक की भूमि में अप्रार्थीगण को कोई खातेदारी हक अधिकार विधि मे पैदा नहीं होते है। अवैध निर्णय व डिकी को अपास्त कराने हेतु एवं उसकी पालना में हुये हस्तान्तरणो को अपास्त कराने हेतु उक्त प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है,

.....पेज नं. 04

जिला कलेक्टर, सिरोही

जिससे प्रार्थीगण का यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय मे नेकनियती एवं सद्भाविक रुप से प्रस्तुत है। यह कि खसरा सख्या 189 बिलानाम सडक की भूमि को गिरधारीलाल ने राधाबाई का आम मुख्तयार बन कर उसकी पत्नि शान्तिदेवी को तथा प्रदीपकुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी को विक्रय की है। उक्त भूमि के विक्रय होने से अप्रार्थी संख्या पांच श्री गिरधारीलाल लाभान्वित हुआ है, जिससे उसे इस रेफरेन्स आवेदन में पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रश्नगत बिलानाम सडक की भूमि के इन्द्राजात, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या एक से चार के पक्ष में वर्तमान में दायर हुये है, उन्हे निरस्त किये जाने एवं उससे पूर्व उक्त सडक की भूमि के जरिये नामान्तरकरण हुये इन्द्राजात को निरस्त किये जाने हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर को उक्त प्रकरण को रेफर किया जाना न्याय संगत है। यह कि यह रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विधि में कोई अवधि नियत नहीं है। अवैधानिक रुप से बिलानाम सडक की भूमि की राजस्व रेकर्ड मे हुई प्रविष्टियों को तथा तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1999 को निरस्त करवाने हेतु रेफरेन्स किये जाने हेतु कोई अवधि नियत नहीं है। अतः प्रार्थीगण का नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत बिलानाम सडक की खसरा सख्या 189, कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 12 विस्वा के सम्बन्ध मे राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा अपील संख्या 36/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1999 को अपास्त कराने हेतु तथा उक्त निर्णय व डिक्री के कारण उक्त बिलानाम सडक की भूमि के हुये हस्तान्तरणों को अपास्त करने हेतु, राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुये नामान्तरकरण संख्या 273, 276, 327 व अन्य इन्द्राजात को निरस्त करते हुये रेफरेन्स में वर्णित बिलानाम सडक की भूमि खसरा सख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा वाके मौजा ऐरनपुरा पटवार क्षेत्र शिवंगज तहसील शिवंगज जिला सिरोही के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के इन्द्राज को बिलानाम सडक अंकित करवाये जाने हेतु उक्त प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुए एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किए।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री दिनेश सुराणा, अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा पारित डिक्री या निर्णय की पालना में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम बिना अधिकारिता के राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है एवं वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में बिलानाम सडक की भूमि को खातेदारी दर्ज की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में गत भू–प्रबन्ध के समय से बिलानाम सडक की भूमि है तथा उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग आवागमन हेतु होता आ रहा है। उक्त भूमि की किस्म संवत 2038 से 2041 की जमाबन्दी में सडक दर्ज है एवं उसके पश्चात संवत 2055 से 2058 तक उक्त भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 05

में सडक दर्ज है। उक्त भूमि शुरु से रास्ते की भूमि है एवं रास्ते के उपयोग में आ रही है। यह कि राधाबाई बेवा मगनलालजी राजगर पुरोहित निवासी सिरोही ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सिरोही के न्यायालय मे मौजा ऐरनपुरा पटवार क्षेत्र शिवंगज तहसील शिवंगज के खसरा सख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा किस्म सडक की भूमि की खातेदारी की घोषणा का वाद राजस्थान राज्य के विरुद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया, जिसके राजस्व वाद संख्या 61/97 है। उक्त वाद में निर्णय दिनांक 13.10.1998 को पारित किया गया है। वादीया राधाबाई के खातेदारी की घोषणा के उक्त वाद को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सिरोही ने खारिज किया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी सिरोही के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.1998 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसे राजस्व अपील अधिकारी सिरोही ने दिनांक 31.03.1999 को स्वीकार कर श्रीमती राधाबाई को उपरोक्त वर्णित खसरा सख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा किस्म बिलानाम सडक की खातेदारी की घोषणा की डिक्री प्रदान की है। राधा बाई की मृत्यु दिनांक 18.02.2010 को शिवंगज में हो गई है। अप्रार्थी सख्या पांच गिरधारीलाल, राधाबाई का पुत्र है। अप्रार्थी संख्या एक, अप्रार्थी संख्या पांच गिरधारीलाल की पत्नि है। यह कि तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित निर्णय व डिक्री रेफरेन्स के जरिये अपास्त किये जाने योग्य है तथा सडक की भूमि को सडक के रुप मे यथावत राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। यह कि खसरा संख्या 189 की भूमि रास्ते की भूमि है तथा रास्ते के रुप मे कदीम से उपयोग होती आ रही है। उक्त भूमि पर राधाबाई का कब्जा कभी नही रहा है। रास्ते की भूमि की खातेदारी प्रदान करने का कोई प्रावधान विधि मे नहीं है, जिससे प्रश्नगत रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा अपील संख्या 36/98 में पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 11.05.1999, नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 09.09.1999, नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 09.08.2001 एवं उसके पश्चात हुये हस्तान्तरणों को निरस्त कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स करवाया जाना न्याय संगत एव आवश्यक है। यह कि धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रास्ते की भूमि की खातेदारी की घोषणा प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान विधि में नहीं है। यह कि खसरा सख्या 189 की रास्ते की भूमि का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व अन्य लोग रास्ते के रुप में कदीम से करते आ रहे है। यह कि मृतक राधाबाई ने रास्ते की भूमि की खातेदारी की घोषणा की अवैधानिक डिक्री राजस्व अपील अधिकारी सिरोही से प्राप्त कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 273 राजस्थान राज्य के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से अपने नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित करवाया है एवं नामान्तरकरण संख्या 273 दर्ज होने के पश्चात राधाबाई ने उक्त रास्ते की भूमि में से 1 बीघा भूमि को श्री प्रदीपकुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी जाति जैन निवासी शिवंगज को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.05.1999 को विक्रय की है एवं उक्त विक्रय विलेख को दिनांक 01.09.1999 को पंजीकृत करवाया है। उक्त विक्रय विलेख का नामान्तरकरण संख्या 276 तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने अवैध रुप से स्वीकृत किया है। इसी प्रकार प्रदीपकुमार ने राधाबाई से खरीद की गई

.....पेज नं. 06

जिला कलेक्टर, सिरोही

बिलानाम सडक की भूमि खसरा सख्या 189 की 1 बीघा भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख से श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री मीठालालजी जाति खण्डेलवाल निवासी मण्डवाडा (ऊड) तहसील व जिला सिरोही को दिनाक 06.05.2006 को विक्रय की है, जिसका नामान्तरकरण तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने दायर किया है। यह कि उपरोक्त वर्णित खसरा सख्या 189 की 12 विस्वा भूमि को राधाबाई ने अपने आम मुख्तयार श्री गिरधारीलाल पुत्र मगनलालजी राजपुरोहित के जरिये गिरधारीलाल की पत्नि श्रीमती शान्तिदेवी को पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय की है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 327 तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने गलत रुप से दायर किया है। उक्त नामान्तरकरण शान्तिदेवी धर्मपत्नी गिरधारीलाल के हक में दर्ज हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त रास्ते की भूमि में से 12 विस्वा भूमि गिरधारीलाल की पत्नि श्रीमती शान्तिदेवी के खातेदारी में अंकित है। यह कि तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने राधाबाई एवं उसके पुत्र गिरधारीलाल से मिलावट कर रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी में दायर किया है, जबकि राजस्थान राज्य के तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व था कि वे रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण दायर नहीं कर प्रकरण को रेफरेन्स करवाने हेतु माननीय जिला कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते। यह कि खसरा सख्या 189 की किस्म को परिवर्तन करने या करवाने का अधिकार तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही को नही था एवं आज भी नहीं है, जिससे भी तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जरिये रेफरेन्स अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या एक से चार के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार अंकित है। उक्त भूमि की किस्म को परिवर्तन करने का या करवाने का अधिकार अप्रार्थीगण को किसी भी रूप से नही है। प्रश्नगत बिलानाम सडक की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदारी के हुये इन्द्राज को निरस्त किया जाना एवं उक्त भूमि को पुनः बिलानाम सडक की भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित किया जाना न्याय संगत एवं आवश्यक है। यह कि तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही को बिलानाम सडक की भूमि की खातेदारी राधादेवी को प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा अपील संख्या 36/98 में पारित खातेदारी की घोषणा के निर्णय व डिक्री की जानकारी उच्च राजस्व अधिकारियों को प्रदान नही कर गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण दायर कर दिया, जो कानूनन अवैध है, जिससे ऐसी प्रविष्टियों को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटवाये जाने हेतु, राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेन्स किया जाना न्याय संगत है। यह कि बिलानाम सडक की भूमि में अप्रार्थीगण को कोई खातेदारी हक अधिकार विधि मे पैदा नहीं होते है। अवैध निर्णय व डिकी को अपास्त कराने हेतु एवं उसकी पालना में हुये हस्तान्तरणो को अपास्त कराने हेतु उक्त प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, जिससे प्रार्थीगण का यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय मे नेकनियती एवं सद्भाविक रुप से प्रस्तुत है। यह कि खसरा सख्या 189 बिलानाम सडक की भूमि को गिरधारीलाल ने राधाबाई का आम मुख्तयार बन कर उसकी पत्नि शान्तिदेवी को तथा प्रदीपकुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी को विक्रय की है। उक्त भूमि के विक्रय होने से अप्रार्थी संख्या

.....पेज नं. 07

जिला कलेक्टर, सिरोही

पांच श्री गिरधारीलाल लाभान्वित हुआ है, जिससे उसे इस रेफरेन्स आवेदन में पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रश्नगत बिलानाम सडक की भूमि के इन्द्राजात, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या एक से चार के पक्ष में वर्तमान में दायर हुये है, उन्हे निरस्त किये जाने एवं उससे पूर्व उक्त सडक की भूमि के जरिये नामान्तरकरण हुये इन्द्राजात को निरस्त किये जाने हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर को उक्त प्रकरण को रेफर किया जाना न्याय संगत है। यह कि यह रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विधि में कोई अवधि नियत नहीं है। अवैधानिक रुप से बिलानाम सडक की भूमि की राजस्व रेकर्ड मे हुई प्रविष्टियों को तथा तत्कालीन राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1999 को निरस्त करवाने हेतु रेफरेन्स किये जाने हेतु कोई अवधि नियत नहीं है। अतः प्रार्थीगण का नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत बिलानाम सडक की खसरा सख्या 189, कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 12 विस्वा के सम्बन्ध मे राजस्व अपील अधिकारी सिरोही द्वारा अपील संख्या 36/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1999 को अपास्त कराने हेतु तथा उक्त निर्णय व डिक्री के कारण उक्त बिलानाम सडक की भूमि के हुये हस्तान्तरणों को अपास्त करने हेतु, राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुये नामान्तरकरण संख्या 273, 276, 327 व अन्य इन्द्राजात को निरस्त करते हुये रेफरेन्स में वर्णित बिलानाम सडक की भूमि खसरा सख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा वाके मौजा ऐरनपुरा पटवार क्षेत्र शिवंगज तहसील शिवंगज जिला सिरोही के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के इन्द्राज को बिलानाम सडक अंकित करवाये जाने हेतु उक्त प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावें। जबकि अप्रार्थी संख्या एक से पांच के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मौजा ग्राम ऐरनपुरा पटवार क्षेत्र शिवगंज में स्थित खसरा संख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा की भूमि की किस्म सड़क नहीं होकर कृषि भूमि है एवं न ही उक्त भूमि कभी सड़क की भूमि रही हैं बल्कि उक्त कृषि आराजी स्व. राधाबाई बेवा मगनलाल के खातेदारी की कृषि आराजी थी। बल्कि जो मौके पर सडक बनी हुई है व खसरा संख्या 191 में बनी हुई है एवं खसरा संख्या 189 का उपयोग संवत 2000 के पूर्व से काश्त के रूप में काम आती रही है। उक्त कृषि आराजी के पूर्व खातेदार राधाबाई के खातेदार की कृषि आराजी के खसरा संख्या 176, 190, 188 के बीच में खसरा संख्या 189 की भूमि आई हुई है, जिस पर एक मात्र कब्जा स्व. राधाबाई का है एवं राधाबाई के पूर्व उनके पति मगनलाल का कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 189 की कृषि भूमि के लोर पर बड़े–बड़े नीम के पेड़, जो वर्षों पुराने मौके पर खड़े है एवं चारो ओर कांटो की बाड़ की हुई है। केवल मात्र भू–प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड में गलती से खसरा संख्या 189 किस्म सड़क दर्ज की हैं जबकि मौके पर कभी भी न तो कभी रास्ता था न ही कभी सडक बनी हुई थी, बल्कि खसरा संख्या 191 में पूर्व में कच्चा रास्ता था एवं तत्पश्चात् वहां डामर सड़क बनी हुई है जो लोगों के आवागमन के उपयोग व उपभोग में आ रही है। खसरा संख्या 189 का मौके पर सड़क या रास्ते के रूप में पिछले 100 वर्षों से ज्यादा समय से उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा हैं न ही कभी रास्ते के रूप में उसका उपयोग हुआ है एवं न ही मौके पर

.....पेज नं. 08

जिला कलेक्टर, सिरोही

सड़क ही है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र परेशान करने की बदनियति से गलत कथन करके यह गलत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि खसरा संख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जो काश्त योग्य भूमि थी एवं स्व. मगनलाल के खाते की कृषि आराजी खसरा संख्या 179, 190 एवं 188 की खातेदारी की कृषि आराजी के बीच में खसरा संख्या 189 की भूमि आई हुई थी, जो पूरे एक चक में थी और जिस पर अप्रार्थीगण काश्त करते आ रहे थे। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खसरा संख्या 189 किस्म गलत रूप से भू–प्रबंध द्वारा त्रुटिवश सड़क दर्ज होने के आधार पर सड़क नहीं हो जाता है न ही मौके की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है एवं न ही मौके पर कोई रास्ता था न ही सड़क का अस्तित्व था बल्कि उक्त भूमि काश्त योग्य भूमि होने से उस पर काश्त की जा रही है एवं जो सड़क व रास्ता मौके पर स्थित है वह खसरा नम्बर 191 है एवं जो मौके पर सड़क बनी है, जो काफी वर्षों पुराना पूर्व में कच्चा रास्ता था एवं वर्तमान में 25–30 वर्ष पूर्व सड़क बनी हुई है। वर्तमान में डामर सड़क स्थित है जिस पर आम लोग आवागमन करते आ रहे हैं। स्वर्गीय राधाबाई का खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पेश किया था और जिसका निर्णय दिनांक 13.10.1998 आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सिरोही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की एवं अपील न्यायालय द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात् राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने जवाबदावे व न्यायालय में हुए साक्ष्य स्वयं पटवारी हल्का शिवगंज व भू–अभिलेख निरीक्षक नारायणलाल स्वयं ने साक्ष्य में यह स्वीकार किया कि खसरा संख्या 189 पर सड़क नहीं है। बल्कि गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में सड़क दर्ज की गई है बल्कि मौके पर काबिल काश्त भूमि है जो राधाबाई के खातेदारी भूमि के बीचों बीच स्थित है एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर खसरा संख्या 189 की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का कब्जा साबित है और उस आधार पर अपीलीय न्यायालय में खसरा संख्या 189 की मौके पर सड़क नहीं होना मानते हुए मौके पर खसरा नम्बर 191 में पक्की डामर सड़क बनी होना मानते हुए जो राजस्व अधिकारी के बयानों से पूर्ण रूप से साबित हैं। उक्त सभी विवेचन के आधार पर अपीलान्ट राधाबाई का वाद साबित होना मानते हुए अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 31.03.1999 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादीया राधाबाई को खसरा संख्या 189 रकबा 1.12 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री जारी की गई और उसकी पालना में तहसीलदार शिवगंज द्वारा नामान्तरकरण संख्या 273 दर्ज कर दिनांक 11.05.1999 को स्वीकृत किया गया। तब से उक्त कृषि आराजी वादीया की खातेदारी की कृषि आराजी है और उक्त निर्णय पारित हुए करीब 24 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं जो निर्णय पारित किया है, वह पूर्ण रूप से विधि सम्मत व कानून की पालना करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई है एवं जो नामान्तरकरण दर्ज किया है वह न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज किया हैं। प्रार्थीगण को उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है न ही प्रार्थीगण व्यथित व्यक्ति है न ही उनकी लोकल स्टेण्डिंग ही हैं इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनिबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अपीलीय

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 09

न्यायालय द्वारा मातहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावा में न्यायालय में हुए वादी व प्रतिवादी के साक्ष्य का भलीभांति विश्लेषण करते हुए कानून सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की एवं स्वयं लैण्ड होल्डर तहसीलदार व पटवारी हल्का तथा भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से यह माना है कि खसरा नम्बर 189 में कोई सडक या रास्ता नहीं है, जो सडक बनी हुई है वह खसरा संख्या 191 में बनी हुई है जो मौके की स्थिति से स्पष्टतया साबित है, उसके बावजूद भी प्रार्थीगण यह कथन करके आ रहे है कि खसरा संख्या 189 रास्ते की भूमि का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व अन्य लोग रास्ते के रूप में कदीम से करते आ रहे है। उक्त कथन सरासर गलत व झूठा कथन है बल्कि मौके पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो उपयोग व उपभोग रास्ते का करते आ रहे है वह खसरा संख्या 191 की भूमि है। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आकर झूठे व मनगढन्त आरोप लगाते हुए एवं प्रार्थीगण द्वारा पारिवारिक रंजिश के कारण सरासर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि यदि लैण्ड होल्डर तहसीलदार उक्त निर्णय से असहमत होते तो अवश्य ही राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र थे, लेकिन कोई अपील पेश नहीं हुई है। उक्त निर्णय हुए करीब 24 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है। उक्त निर्णय व डिक्री अन्तिम आदेश है एवं न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री के विरूद्ध रेफरेन्स पेश करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है एवं न ही उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि स्व. राधाबाई को अपनी कृषि आराजी का बेचान, हस्तान्तरण करने का कानूनी हक व अधिकार होने से प्रतिफल राशि प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या एक व दो को बेचान करने का पूर्ण हक व अधिकार होने से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख होने से कब्जा सुपूर्द किया है एवं वर्तमान में मौके पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या दो ने अपने खातेदारी की कृषि आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या चार को बेचान की है, जो बतौर खातेदार मौके पर काबिज है एवं जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। यह है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में विधि सम्मत तरीके से नामान्तरकरण दर्ज किया है चूंकि राजस्व अधिकारियों को भलीभांति ज्ञात है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा मौके की स्थिति से परे जाकर त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खसरा संख्या 189 गलत रूप से सडक दर्ज हुई है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 191 पर सडक बनी हुई है जो मौके की स्थिति से स्पष्ट है एवं उक्त प्रकरण भू–राजस्व से संबंधित हैं, जहां पर न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाता है, उसमें मात्र अपील करने का ही प्रावधान है एवं अपील करने का एक मात्र अधिकार व्यथित व्यक्ति का है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार को है न की प्राईवेट व्यक्ति को है। इस कारण प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि जहां पर कोई मयाद अवधि निहित नहीं है वहां पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि 1 से 3 वर्ष तक की समयावधि नियत है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना में

.....पेज नं. 10

जिला कलेक्टर, सिरोही

खातेदारी दर्ज की गई है और जिसके विरूद्ध कोई अपील राजस्व मण्डल अजमेर में राज्य सरकार द्वारा पेश नहीं की गई है एवं उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है एवं राज्य सरकार के पास अपील पेश करने का विकल्प था। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स के जरिये न तो कोई आदेश अपास्त किया जा सकता है न ही कोई निर्णय दिया जा सकता है। जहां साक्ष्य का मेटर हो वहां रेफरेन्स नही किया जा सकता है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज करना फरमावे। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने विधिक दृष्टांत RRD 1992 Page 496, DNJ 2014(3) Page 275, RRT 2014(2) Page 788 एवं RLW 1986 Page 747 पेश किए एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा विधिक दृष्टांत 1996 RRD Page 187, 2009 RRD Page 33, 2010 RRT Page 577, 2010 RRD Page 260, 1996 DNJ Page 100, 2016 RRD Page 33 एवं 2010(1) RRT Page 562 प्रस्तुत किए।

(4) अप्रार्थी संख्या छः की ओर से दौराने बहस पेरोकार सरकार ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मौजा एरनपुरा पटवार क्षेत्र शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 189 रकबा 1.12 बीघा किस्म सडक दिनांक 10.05.1999 तक बिलानाम सरकार दर्ज था। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही के निर्णय दिनांक 31.03.1999 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 273 स्वीकृति दिनांक 11.05.1999 के अनुसार ग्राम एरनपुरा के खसरा नम्बर 189 रकबा 1.12 बीघा किस्म सडक की भूमि स्व. राधाबाई बेवा मगनलाल राजगर पुरोहित निवासी शिवगंज के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है। स्व. राधाबाई बेवा मगनलाल के आम मुख्तियार श्री गिरधारीलाल पुत्र मगनलाल द्वारा दिनांक 01.09.1999 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के बेचान किया जाने पर नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 09.09.1999 द्वारा खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म सडक में से 1 बीघा भूमि श्री प्रदीप कुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी, जाति–जैन, निवासी–शिवगंज के नाम खसरा नम्बर–189/1, रकबा 1 बीघा, किस्म सडक दर्ज हुआ। इसके उपरान्त पुनः जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2006 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी द्वारा बेचान करने से नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 14.06.2006 द्वारा श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि मीठालाल, जाति–खण्डेलवाल, निवासी–मंडवाडा, तहसील सिरोही के नाम से दर्ज हुई। वर्तमान जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2075–78 संवत् 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 82 के अनुसार खसरा नम्बर–189/1, रकबा 0.1619 हैक्टेयर (1 बीघा), किस्म सडक श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि मीठालाल, जाति–खण्डेलवाल, निवासी मंडवाडा, तहसील सिरोही के नाम से खातेदारी दर्ज है। यह कि जरिये आम मुख्तियार दिनांक 16.07.2001 को विक्रय विलेख पंजीकृत होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 02.08.2001 द्वारा खसरा संख्या 189मी, रकबा 12 बिस्वा किस्म सडक में राधाबाई बेवा मगनलाल राजगर पुरोहित के स्थान पर श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री गिरधारीलाल, जाति–पुरोहित, निवासी–शिवगंज का नाम दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2075–78 संवत् 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या–135 के अनुसार खसरा नम्बर 484/189 रकबा 0.0971 हैक्टेयर (12 बिस्वा)

.....पेज नं. 11

जिला कलेक्टर, सिरोही

किस्म सडक वर्तमान में भी श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री गिरधारीलाल, जाति–पुरोहित, निवासी–शिवगंज का नाम दर्ज है। यह कि वक्त सेग्रिगेशन जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा ऑनलाईन किया जाने पर क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा से हैक्टेयर में दर्ज हुआ एवं खसरा नम्बर–189मी. के स्थान पर 494/189 दर्ज हुआ है। भू–प्रबन्ध रिकॉर्ड मिसल बन्दोवस्त ग्राम एरनपुरा संवत् 2011 के अनुसार खसरा नम्बर–189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म सडक बिलानाम खाते में दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 11.05.1999 उक्त खसरा राधाबाई पत्नि मगनलाल के नाम खातेदारी दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 189 के बट्टा नम्बर 189/1 उपं 494/189 की किस्म सडक वर्तमान जमाबन्दी में भी दर्ज है। यह कि श्रीमती राधाबाई बेवा मगनलालजी जाति–राजगर पुरोहित निवासी–शिवगंज द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के समक्ष राजस्व वाद संख्या 61/97 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया था। जिसके निर्णय दिनांक 13.10.1998 के अनुसार खातेदारी घोषणा का वाद निरस्त किया गया। उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही को अपीलान्ट राधाबाई द्वारा प्रस्तुत करने से अपील प्रार्थना–पत्र संख्या–36/1998 दर्ज होकर दिनांक 31.03.1999 को निर्णित हुआ। उक्त निर्णय के अनुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 11.05.1999 द्वारा खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, किस्म सडक राधाबाई बेवा मगनलाल राजगर पुरोहित के नाम दर्ज हुआ। यह कि उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा वादीया श्रीमती राधाबाई द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र संख्या 36/1998 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.1999 के अनुसार बिलानाम सडक की भूमि का वादीया के पक्ष में खातेदारी घोषणा का पारित किया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है। बिलानाम सडक की भूमि पर खातेदारी दिया जाना नियमानुसार नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही किया जाना उचित है।

(5) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम एरनपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के खसरा संख्या 189 कुल किता 01 कुल रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा की भूमि बिलानाम सडक राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त मौजा एरनपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही सम्वत् 2001 में उक्त भूमि श्री सरकार के नाम सडक के रूप में दर्ज थी, जो दिनांक 10.05.1999 तक की जमाबन्दी अनुसार बदस्तूर सडक के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि श्रीमती राधाबाई बेवा मगनलालजी जाति–राजगर पुरोहित निवासी–शिवगंज द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के समक्ष राजस्व वाद संख्या 61/97 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया था, जिसके निर्णय दिनांक 13.10.1998 के अनुसार वादी श्रीमती राधाबाई बेवा श्री मगनलालजी का खातेदारी घोषणा का वाद निरस्त किया गया। वादी श्रीमती राधाबाई बेवा श्री मगनलालजी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय

.....पेज नं. 12

जिला कलेक्टर, सिरोही

दिनांक 13.10.1998 की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही को प्रस्तुत की, जो प्रकरण संख्या 36/1998 दर्ज होकर दिनांक 31.03.1999 को निर्णित हुआ, उक्त निर्णय में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा मौजा एरनपुरा के खसरा संख्या 189 रकबा 1.12 बीघा भूमि का श्रीमती राधाबाई बेवा श्री मगनलालजी पुरोहित निवासी शिवगंज को खातेदार घोषित किया गया एवं उक्त निर्णय की पालना में पटवार हल्का शिवगंज द्वारा वादी श्रीमती राधाबाई बेवा श्री मगनलालजी राजगर पुरोहित निवासी शिवगंज के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 273 दायर किया, जो तहसीलदार शिवगंज द्वारा दिनांक 11.05.1999 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार जरिये नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 11.05.1999 द्वारा खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, किस्म सडक राधाबाई बेवा मगनलाल राजगर पुरोहित के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात राधाबाई बेवा मगनलालजी के आम मुख्तियार श्री गिरधारीलाल पुत्र श्री मगनलाल द्वारा दिनांक 01.09.1999 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म सडक में से 1 बीघा भूमि श्री प्रदीप कुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी, जाति–जैन, निवासी–शिवगंज को बेचान की गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 276 पटवार हल्का शिवगंज द्वारा क्रेता श्री प्रदीप कुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी, जाति–जैन, निवासी–शिवगंज के हक में दायर किया, जिसे तहसीलदार शिवगंज द्वारा दिनांक 09.09.1999 को स्वीकृत किया गया। इसके उपरान्त पुनः जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2006 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार पुत्र लालचन्दजी सोलंकी द्वारा श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि मीठालाल, जाति–खण्डेलवाल, निवासी–मंडवाडा, तहसील सिरोही को बेचान कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 397 पटवार हल्का शिवगंज द्वारा क्रेता श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि मीठालाल, जाति–खण्डेलवाल, निवासी–मंडवाडा, तहसील सिरोही के हक में दायर किया, जिसे तहसीलदार शिवगंज द्वारा दिनांक 14.06.2006 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2075–78 संवत् 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 82 के अनुसार खसरा नम्बर–189/1, रकबा 0.1619 हैक्टेयर (1 बीघा), किस्म सडक श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि मीठालाल, जाति–खण्डेलवाल, निवासी मंडवाडा, तहसील सिरोही के नाम से खातेदारी दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि जरिये आम मुख्तियार दिनांक 16.07.2001 को विक्रय विलेख पंजीकृत होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 02.08.2001 द्वारा खसरा संख्या 189भी, रकबा 12 बिस्वा किस्म सडक में राधाबाई बेवा मगनलाल राजगर पुरोहित के स्थान पर श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री गिरधारीलाल, जाति–पुरोहित, निवासी–शिवगंज का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2075–78 संवत् 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या–135 के अनुसार खसरा नम्बर 484/189 रकबा 0.0971 हैक्टेयर (12 बिस्वा) किस्म सडक वर्तमान में भी श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री गिरधारीलाल, जाति–पुरोहित, निवासी–शिवगंज का नाम दर्ज है। वक्त सेग्रिगेशन जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा ऑनलाईन किया जाने पर क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा से हैक्टेयर में दर्ज हुआ एवं खसरा नम्बर–189भी. के स्थान पर 494/189 दर्ज हुआ है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 13

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध रिकॉर्ड मिसल बन्दोवस्त ग्राम एरनपुरा संवत् 2001 के अनुसार खसरा नम्बर–189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म सडक बिलानाम खाते में दर्ज है, जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 11.05.1999 के आधार पर उक्त खसरा राधाबाई पत्नि मगनलाल के नाम खातेदारी दर्ज हुआ तथा खसरा नम्बर 189 के बट्टा नम्बर 189/1 उपं 494/189 की किस्म सडक वर्तमान जमाबन्दी में भी दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि मौजा एरनपुरा के खसरा संख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म सडक की गलत रूप से बिना अधिकारिता के खातेदारी श्रीमती राधाबाई बेवा श्री मगनलालजी राजगर पुरोहित नाम दी गई, जबकि बिलानाम सडक की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिया नहीं जा सकता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सत्य है कि श्रीमती राधाबाई बेवा श्री मगनलालजी राजगर पुरोहित के पक्ष में खसरा संख्या 189 रकबा 1.12 बीघा किस्म सडक का खातेदारी दिए जाने के बाबत् तहसीलदार शिवगंज द्वारा नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 11.05.1999 को स्वीकृत किया गया था। चूंकि तहसीलदार शिवगंज द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 11.05.1999 को न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 31.03.1999 की पालना में स्वीकृत किया गया है एवं न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा ही मौजा एरनपुरा के खसरा संख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म सडक की भूमि की श्रीमती राधाबाई बेवा श्री मगनलालजी राजगर पुरोहित के हक में खातेदारी दिए जाने का निर्णय/डिक्री दिनांक 31.03.1999 को पारित किया गया था। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 36/1998 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 31.03.1999 के द्वारा मौजा एरनपुरा के खसरा संख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म सडक की भूमि की खातेदारी दिए जाने पर पक्षकारान के पास न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध विधि में उपलब्ध अन्य उपचार अर्थात सक्षम न्यायालय में अपील/चाराजोही करनी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा विधि में उपलब्ध उक्त उपचार अर्थात सक्षम न्यायालय में अपील/चाराजोही करने के बजाय इस न्यायालय में यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मौजा एरनपुरा के खसरा संख्या 189 रकबा 1.12 बीघा किस्म सडक की भूमि की खातेदारी श्रीमती राधाबाई वेवा श्री मगनलाल राजगर पुरोहित के हक में दिए जाने के सम्बन्ध में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा पारित निर्णय/डिक्री के विरूद्ध तहसीलदार शिवगंज को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं करते हुए उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि रेफरेन्स अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकता एवं न ही रेफरेन्स के माध्यम से न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही के आदेश को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने भी प्रकरण संख्या 2002/2230 सरकार बनाम हुक्मा व अन्य में

.....पेज नं. 14

जिला कलेक्टर, सिरोही

पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 में यह माना है कि रेफरेन्स अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकता एवं न ही रेफरेन्स के माध्यम से नियमानुसार पारित आदेश को निरस्त कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर यह प्रतीत होता है कि न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 36/1998 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 31.03.1999 के विरूद्ध विधि में उपलब्ध उक्त उपचार अर्थात सक्षम न्यायालय में अपील/चाराजोही करने के बजाय इस न्यायालय में यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही